कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
रायपुर छत्तीसगढ़

परिपत्र

विषय:— अनुपयोगी हो चुके नलकूप (Abandoned Bore wells) मे बच्चों के गिरने से होने वाली घातक दुर्घटनाओं से बचने सुरक्षात्मक उपाय।

—00—

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका कमांक 36/2009 के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के D.No.194/2009/SC/PILC दिनांक 17 फरवरी 2010 द्वारा अनुपयोगी हो चुके नलकूप (Abandoned Bore wells) मे बच्चो के गिरने जैसी घातक दुर्घटनाओ से बचने के सुरक्षा उपाय के संबंधित मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त निर्देशो के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में पालनार्थ निम्न अनुसार निर्देश जारी किये जाते है :—

1. ग्राम पंचायत/नगर पंचायत क्षेत्र जहां नलकूप का निर्माण किया जाना हो निर्माण के कम से कम 15 दिन पूर्व तक संरपच/अध्यक्ष को लिखित में सूचित किया जावे ।
2. ऐजेंसी जिसको निर्माण का कार्यादेश दिया जाता है को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व जिला प्रशासन के पास अपना पंजीयन कराया जाना आवश्यक रहेगा। तत्पश्चात ही कार्य प्रारंभ कराया जावे। निजी एजेंसी एवं शासकीय विभाग दोनो के लिये यह अनिवार्य रहेगा।
3. नलकूप खनन स्थल पर खनन कार्य के समय में नलकूप खनन करने वाले ठेकेदार का नाम, पूरा पता एवं विभाग के नाम की तख्ती स्पष्ट रूप से लगाई जावें।
4. ग्रेवेल पेक नलकूप खनन जिसकी खनन कार्य अवधि सामान्यतः अधिक समय के लिये होती है, के लिये स्थल पर वारबेड वायर फेंसिंग की जावेगी।
5. नलकूप केसिंग के चारो तरफ से 0.5X0.5X0.6 मीटर का सी.सी. (1:2:4: मिक्स) प्लेट फार्म ब्लाक बनाया जावेगा जो की 30 से.मी. जमीन सतह से उपर एवं 30 से.मी. जमीन सतह से नीचे रहेगा।
6. नलकूप केसिंग पाईप को खनन कार्य पश्चात मजबूत स्टील ढक्कन द्वारा नट बोल्ट से कस दिया जाता है । मैदानी अमला यह सुनिश्चित करेगा कि पंप रिपेयर के दौरान भी नलकूप बिना कव्हर के न रहे ।
7. नलकूप निर्माण के पश्चात स्थल को पूर्व स्थिति में समतल किया जाना आवश्यक रहेगा जैसा कि वह पूर्व स्थिति में था । इसमें निर्माण के दौरान बनाये गये गड्ढे/नाली आदि भी शामिल रहेगें ।
8. अनुपयोगी (Abandoned) हो चुके बोर को मिट्टी/रेत/बोल्डर ड्रिल कंटिग आदि से जमीन सतह तक पूरा भरा जावेगा।
9. प्रत्येक खण्ड कार्यालय ग्राम/विकासखण्ड वार खनित नलकूप की संख्या/Abandoned Borewell की संख्या जो खुले पड़े है और जिनको भर दिया गया है की जानकारी संधारित करेगें और जिला प्रशासन को इस जानकारी से अवगत करावेगें ।